इकाई 18 विधि एवं न्यायिक पद्धति

इकाई की रूपरेखा

18.1 प्रस्तावना

18.2 विधि के स्रोत

18.3 विधि का वर्गीकरण

18.4 न्याय प्रशासन

18.5 सारांश

18.6 अभ्यास

18.1 प्रस्तावना

विधि या कानून का शुरुआती सिद्धांत ऋग्वेद के 'ऋत' शब्द में पाया जाता है। इस शब्द का अर्थ था सर्वोच्च लोकोत्तर कानून या आदेश, जो पूरे विश्व पर लागू होता था और जिसमें देवता भी निष्ठा रखते थे। इसके बाद 'धर्म' ने 'ऋत' की जगह ली। हालाँकि स्मृति साहित्य में धर्म का मतलब विधि था, लेकिन यह सदाचार व नैतिकता से अलग नहीं था। केन के मुताबिक, 'धर्म शब्द के अर्थ में कई बदलाव आए, यह मनुष्य के विशेषाधिकारों, कर्त्तव्य व दायित्व एवं जाति का सदस्य तथा जीवन के किसी चरण में होने की वजह से मनुष्य व्यवहार के स्तर को इंगित करता था।

वैदिक साहित्य में धर्म को कानून और रिवाजों से जोड़ा गया। महाभारत में 'धर्म' में राजधर्म (राजा का धर्म), प्रजा धर्म (प्रजा का धर्म) और मित्र का धर्म (मित्र धर्म) आदि कर्त्तव्य दिए गए हैं। धर्म की सर्वोच्चता को बनाए रखना व्यवहार पर निर्भर था जो अंग्रेज़ी में विधि के नाम से जाना जाता है। अनेक टीकाकारों द्वारा यह प्रमाणों पर आधारित था तथा इससे शंकाएँ दूर होती थीं। इसकी परिभाषा के अंतर्गत अनौपचारिक विधि; न्यायिक तरीका तथा न्याय प्रशासन आते हैं। प्राचीन भारत के संदर्भ में धर्म केवल धार्मिक विश्वास से जुड़ा नहीं था अपितु सामाजिक-नैतिक तथा धार्मिक विचारों की अभिव्यक्ति था। इस इकाई में प्राचीन भारत में विधि के स्रोतों, विधि की श्रेणियों तथा न्याय प्रशासन के बारे में बताया गया है।

18.2 विधि के स्रोत

विधि (कानून) के स्रोत के लिए हमें मनु को आधार मानना होगा। मनु ने धर्म की व्याख्या ऐसे की है – संपूर्ण वेद धर्म का स्रोत है, फिर परंपरा (स्मृति) है और उनकी परंपरा व व्यवहार, जो वेद को जानते हैं और पवित्र व्यक्तियों के रिवाज तथा अंत में अपना संतोष (II-6)।

मेधातिथि एवं याज्ञवल्क्य मनु से सहमत थे। अत: धर्म के मान्यताप्राप्त स्रोत तीन हैं : श्रुति से उत्पन्न, अर्थात् वेद, स्मृति से उत्पन्न धर्मशास्त्र (स्मृता), और सदाचार (सद्गुणों वाले व्यक्तियों का व्यवहार जो वेद जानते थे)। हालाँकि कौटिल्य ने कानून के चार अंग बताए हैं – धर्म (पवित्र कानून), व्यवहार (अनुबंध), चरित्र (रिवाज़) और राजा का शासन (शाही आदेश)। बाद वाले पदानुक्रम में ऊपर है (धर्माश्च व्यवहारश्च चरित्रम् राजशासन विवदर्थ पश्चिम पूरब-बढेका)। अत: राजा ही विधि को लागू करने वाली सबसे बड़ी शक्ति थी। नारद द्वारा दी गई विधि को लागू करने के लिए राजा सबसे बड़ा होता था। नारद (1:10) द्वारा दिए विधि के चार स्रोत कौटिल्य द्वारा दिए स्रोतों के समान हैं।